

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 991
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा विद्युतीकरण योजना

991. श्री मारगनी भरतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के कितने बसावटों/घरों को नई सौर ऊर्जा विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है और वर्ष 2023-24 के दौरान इसके अंतर्गत आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण स्थानों में उक्त योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है;
- (ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय समुदायों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कोई सहायता तंत्र उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) बहुउद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) में संस्थापित की जाने वाली ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा किटों के लिए तकनीकी विनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का इन विनिर्देशों को आन्ध्र प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय आवश्यकताओं और मौसम की स्थितियों के आधार पर अनुकूल बनाने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

- (क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवीन सौर विद्युत योजना (पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) के तहत आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें 3.78 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू और एलुरु जिलों की 41 बस्तियों में 756 पीवीटीजी परिवारों (हाउसहोल्ड) का विद्युतीकरण करना शामिल है।
- (ख) और (ग): योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, एमएनआरई ने दिनांक 04.01.2024 को विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें चालू करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए स्थापित सौर प्रणालियों का व्यापक रखरखाव, स्थापित की गई प्रणाली वाले प्रत्येक जिले में पर्याप्त उपकरणों और पुर्जों के साथ सेवा केंद्र का प्रचालन, स्थानीय लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना आदि के प्रावधान हैं।
- (घ) से (च): दिनांक 04.1.2024 को जारी योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में अन्य के साथ-साथ, बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के लिए ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत पैक के विनिर्देश और तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हैं। इन विनिर्देशों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

एक एमपीसी में स्थापित किए जाने वाले सौर विद्युत पैक का डिजाइन तथा क्षमता स्थानीय आवश्यकताओं और मौसमी स्थितियों जैसे उपलब्ध सौर विकिरण, पवन गति आदि सहित अन्य स्थितियों पर निर्भर करेगा।

“सौर ऊर्जा विद्युतीकरण योजना” के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) के लिए ऑफ-ग्रिड सौर पावर पैक के लिए विशिष्टताएं और तकनीकी आवश्यकताएं

ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र - एमपीसी में लोड आवश्यकता के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद प्रस्तावित किए जाने वाले ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत संयंत्रों के एसपीवी मॉड्यूलों और बैटरी बैंक की क्षमता।	
एसपीवी मॉड्यूल	क) स्वदेशी मोनो क्रिस्टलीय एसपीवी मॉड्यूलों का उपयोग न्यूनतम 19% दक्षता और 75% से अधिक के फिल फैक्टर के साथ किया जाएगा। ख) एसपीवी मॉड्यूल पर आउटपुट वॉटेज क्षमता की वारंटी दी जानी चाहिए, जो 10 वर्षों के अंत में निर्धारित वाट क्षमता के 90% से कम तथा 25 वर्षों के अंत में रेटल वॉटेज के 80% से कम नहीं होनी चाहिए।
बैटरी	क) ट्युब्युलर वाल्व रेग्युलेटेड लेड एसिड (वीआरएलए) जेल प्रकार के बैटरी बैंक में अधिकतम 80% डेपथ ऑफ डिस्चार्ज (डीओडी)। ख) बैटरी बैंक को औसत दैनिक लोड चक्र के दो-दिन के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
स्ट्रीट लाइट	7 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट
रिमोट निगरानी प्रणाली	सभी महत्वपूर्ण दूरस्थ निगरानी पैरामीटर (जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसी निविदाओं द्वारा निर्दिष्ट) जीपीआरएस (2जी/3जी/4जी सक्षम) आधारित सुविधाओं का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आरएमएस द्वारा 2जी नेटवर्क में भी प्रत्येक 15 मिनट पर वेब सर्वर को जानकारी भेजने में सक्षम होना चाहिए। वेंडर द्वारा एमएनआरई या कार्यान्वयन एजेंसियों के नए या पहले से चल रहे वेब पोर्टल में आरएमएस जानकारी होस्ट करनी होगी।
शेष संयंत्र	पीवी मॉड्यूल माउंटिंग संरचनाएं, चार्ज कंट्रोलर (एमपीपीटी) के साथ पीसीयू/सौर इन्वर्टर, एसी/डीसी वितरण/जंक्शन बॉक्स, केबल, अर्थिंग व्यवस्था, विद्युत संरक्षण, मीटरिंग, अन्य नियंत्रण उपकरण, आदि।
